Ministry of Finance through the Integrated Finance Division in accordance with normal procedure for revision of scale of pay for any post.

5. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) vide their U.O. No. 866-IC-90 dated 26-12-90.

(Sd/-.....)

(G. S. Pirzada)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments

Copy to:—M/o Finance (D/o Expenditure) with reference to their U.O. No. 866-IC--90 dated 26-12-90.

Increase in Share Prices due to Boom in Stock Market

1191. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of companies have benefited because of boom in share market from March, 1991 to June 1992;

(b) if so, whether Government have got the information about the percentage of increase in the prices of shares during the above period;

(c) whether it is also a fact that Government have enquired about the malpractices done by the Chairman of the companies the prices of whose shares have increased artificially; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) As it is easier to raise capital directly from the market for financing projects during a boom period in the stock market, the corporate sector as a whole has generally benefited from such a situation.

(b) The rise in prices of shares was reflected in the movement of the Bombay Stock Exchange Sensitive Index (1978-79—100) which increased from 1225.44 on 4th March, 1991 to 3080.54 on 26th June, 1992.

(c) and (d) If specific cases of malpractices are brought to the notice of the Government, appropriate action will be taken.

Loans provided by Tourism Finance Corporation of India to various Companies

1192. SHRI VISHWASRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the names of the companies which have been provided loans alongwith the amount thereof by the Tourism Finance Corporation of India during the last years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): The Tourism Finance Corporation of India (TFCI) has reported that it has sanctioned an aggregate amount of Rs. 241.22 crores to 117 companies assisted by it during the last three years of its operations viz. 1989-90, 1990-91 and 1991-92. An aggregate amount of Rs. 100.27 crores has also been disbursed during the period.

As regards the names of the companies and the amounts sanctioned to each one of them, in accordance with the practices and usages customary amongst the banks and financial institutions, TFCI does not divulge details relating to its individual constituents. Further, TFCI is not a Government Company in terms of the Companies Act, 1956.

कुल्लू में मंदिरों द्वारा सोने का निवेश राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड 1980 में किया जाना

1193. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के मन्दिरों ने अपने सोने का निवेश

राष्ट्रीय स्वर्ण रक्षा बाण्ड 1980 में किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी मन्दिरों का सोना लौटा दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर 'ना' हो तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) यह सोना कब तक और किस प्रक्रिया के अनुसार लौटाये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीतल राम पोटदुखे) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) कुल 52 निवेशकों में से केवल 8 ने स्वर्ण बांडों का दावा प्रस्तुत किया है और वापसी-अदायगी ली है। बांडों के शेष 44 धारकों के संबंध में वापसी-अदायगी के लिए कोई दावा पेश नहीं किया गया है।

कुल्लू जिले के 52 मन्दिरों जिन्होंने स्वर्ण बांड योजना में निवेश किया था, 8 मन्दिरों जिन्हें बांड प्रस्तुत करने पर सोना वापस कर दिया गया था और 44 मन्दिरों जिनका सोना अभी भी भारतीय रिजर्व-बैंक के पास है की सूची दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ङ) प्रक्रिया के अनुसार, वे बांड धारक, जिन्होंने 30 ग्राम तक सोना जमा करवाया है, वे भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली कार्यालय को बांड भेज सकते हैं और इनके साथ यह अनुरोध संलग्न होना चाहिए कि सोना बीमा-कृत डाक द्वारा भेजा जाए। जहां तक ऐसे बांड धारकों का संबंध है, जिन्होंने 30 ग्राम से अधिक सोना जमा किया है, वे बांडों को भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए जमा करवा सकते हैं और उन पर देय सोना प्राप्त कर सकते हैं। अन्त में, ऐसे धारक, जिनके स्वर्ण बांड गुम हो गए हों, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे "लुप्त नोट" पर लागू प्रक्रिया अपनाएं जो कि एक सांविधिक जरूरत है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मंदिर द्वारा राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 में निवेशित सोना

क्रम संख्या	निवेशकर्ता का नाम	निवेश किए गए सोने की मात्रा (ग्राम)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अभी भी जमा सोना (ग्राम)	धारकों को वापस किया गया सोना
1	2	3	4	5
1.	देवता मार्कन्डा, मंगलौर, जिला कुल्लू	34	34	--
2.	देवता नीलकंठ, जिला कुल्लू	6	6	--
3.	देवता बीवानी महादेव-कुल्लू	7	7	--
4.	देवता खुडी जोल, रघुपुर-कुल्लू	37	37	--
5.	देवी दर्रा फातीलोट	10	10	--
6.	देवता छंबु-कुल्लू	42	--	42 ग्राम
7.	श्री गारा दुर्गा देवी	11	11	--
8.	देवी चिमगासन	3	3	--
9.	देवता रियासी नाग	7	7	--
10.	कसम्भा देवी	8	8	--

1	2	3	4	5
11.	ठाकुर मुरलीधर	8	8	—
12.	देवता भोजा नाग	1	1	—
13.	देवता भोला मार्कन्डा	4	4	—
14.	देवता बिझारी कोट	3	3	—
15.	देवता छवांग	16	16	—
16.	देवता लक्ष्मी नारायण	27	27	—
17.	देवता बिहारी महादेव	13	13	—
18.	देवता लक्ष्मी नारायण	23	—	23 ग्राम
19.	देवता बंगरू महादेव	38	—	38 ग्राम
20.	देवता ईश्वर महादेव	32	32	—
21.	देवता छमाऊ नाग	49	49	—
22.	देवता शमशीती महादेव	83	83	—
23.	देवता जीवन नारायण	8	—	8 ग्राम
24.	देवता बीजू महादेव	41	41	—
25.	देवता नैना	26	26	—
26.	देवता जगन्नाथ भाइबली	15	15	—
27.	देवता छंबू	44	—	44 ग्राम
28.	देवता लक्ष्मी नारायण	10	10	—
29.	देवता संचूर	11	—	11 ग्राम
30.	देवता खुडो जोल	11	11	—
31.	पाछला देवी	16	16	—
32.	देवता गहूमी नाग	3	3	—
33.	देवता बतल्ली	1	—	1 ग्राम
34.	देवता गुम्बल सत	28	28	—
35.	देवता पान्डीर	20	20	—
36.	कमुम्भा देवी	3	3	—
37.	ठाकुर मुरलीधर	2	2	—
38.	देवता जागेश्वर महादेव	9	9	—
39.	देवता बधुमी नाग	1	1	—
40.	देवता सिराजी नाग	1	1	—
41.	देवी हिडम्बा मनाली	21	—	21 ग्राम
42.	देवता लक्ष्मी नारायण	11	11	—
43.	देवता बहना पति	8	8	—
44.	देवता टकरारी नाग	8	8	—
45.	देवता भोला नाग	12	12	—

1	2	3	4	5
46.	देवता भोला मार्कन्डा	5	5	—
47.	देवी बिंगली नाग	17	17	—
48.	देवता जालन्धी	18	18	—
49.	देवता तराली नाग	2	2	—
50.	देवना कुइन्नी महादेव	32	32	—
51.	देवता बिजहफी कोट	10	10	—
52.	देवता चेवा नाग	2	2	—
	जोड़ :	858	670	188
		(52)	(44)	(8)

Default in Repayment of Loans by M/s. Bharat Hotels Ltd.

1194. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Bharat Hotels Ltd., New Delhi has defaulted consistently in repaying loans taken from financial institutions: and

(b) if so, what steps have been taken to ensure repayment of loans by M/s. Bharat Hotels Ltd.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) It has been reported by the Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the lead institution, that it had, in participation with IDBI and ICICI, sanctioned rupee term loans to M/s. Bharat Hotels Limited for an aggregate amount of Rs. 2687.41 lakhs. A part of the loan together with interest thereon has already been repaid. As per the current operations of the Hotel there are reasonable chances that the company would be able to meet its commitments to the institutions as per prevailing repayment schedule.

As regards refaults in repayment of loans, these are not divulged by the financial institutions in accordance with the provisions of the statutes governing the financial institutions, provisions of the obligations as to Fidelity and Secrecy Act and practices and usages customary amongst the bankers.

वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण के लिये समिति गठित करने का प्रस्ताव

1195. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण की जांच करने के लिये समिति गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी,नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।